



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13082022-238080
CG-DL-W-13082022-238080

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2022, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1944
No. 28] NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2022, SATURDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उप-निदेशक भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप-निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप-निदेशक भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उप निदेशक	05* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — (13 “क”) (131100—216600 / रु.)

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : (भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क (131100—216600 रूपए) में केन्द्र में उप महानिरीक्षक स्तर के पदों को संभालने के लिए पैनल में हों)

			टिप्पण : भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, समय समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1/21023/ 29/2007—आईपीएस—III तारीख 30 मार्च, 2010 में यथा अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति से संबंधित उद्देश्य और आदेश के निबंधनो द्वारा विनियमित होगी ।
--	--	--	--

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) विद्यमान हैं तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 23011/24/2020—पीटी]

रमन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd August, 2022

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Deputy Director Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Deputy Director, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (6) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Director	05* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-(13A) in the pay matrix (Rs.131100-216600)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Deputation: Officers of Indian Police Service empanelled to hold Deputy Inspector General level posts at the Centre in pay level 13A of the pay matrix (Rs. 131100-216600). Note : Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in term of instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No 1/21023/29/2007-IPS-III dated the 30 March, 2010 as amended from time to time.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/24/2020-PT]

RAMAN KUMAR Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अगस्त 2022

सा.का.नि. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, सहायक निदेशक (वैज्ञानिक सहायक साधन) और उप सहायक निदेशक (न्यायिक विज्ञान) भर्ती नियम, 2016 को, जहां तक कि उनका संबंध उप सहायक निदेशक (न्यायिक विज्ञान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी में उप सहायक निदेशक (न्यायिक विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, उप सहायक निदेशक (न्यायिक विज्ञान) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
उप सहायक निदेशक (न्यायिक विज्ञान)।	1 * (2022) (कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसूचित।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400/ रु.)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(7)	(8)
अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यायिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। अनुभव (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संबंधित विषय पर शिक्षण का एक वर्ष का अनुभव या किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी प्रयोगशाला या राज्य या संघराज्य क्षेत्र	लागू नहीं होता

संबंधी प्रयोगशाला में एक वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव ।	
टिप्पण 1 — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	
टिप्पण 2 — अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं उन कारणों के लिए लो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(9)	(10)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।
	टिप्पण: — पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,
	(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
	(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.) में उस पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और
	(ग) जिनके पास स्तंभ (7)के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे — (1) निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी — अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी — सदस्य (3) उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी — सदस्य ।	सीधी भर्ती किए जाने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. 23012/09/2016—पीटी]

रमन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd August, 2022

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani, Assistant Director (Scientific Aids) and Deputy Assistant Director (Forensic Science) Recruitment Rules, 2016 in so far as they relate to the post of the Deputy Assistant Director (Forensic Science), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Deputy Assistant Director (Forensic Science) in the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Police Academy, Barapani, Deputy Assistant Director (Forensic Science) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Assistant Director Forensic Science).	1* (2022). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-‘B’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 Rs. 44900-142400).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public	Qualification: Masters Degree in Forensic Science from recognized University. Experience: one year experience of teaching on the subject in recognised University or one year analytical experience in Centre for Forensic Science Laboratory (CFSL) or State or in Forensic Laboratory of Union Territory or one year analytical

Service Commission.	experience from a recognised University. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recording in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recording in writing, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
---------------------	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with five years regular services in posts in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix, and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering Confirmation consisting of: (i) Director, North Eastern Police Academy – Chairman (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy – Member (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 23012/09/2016-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम(तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध दूरभाष लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दूरभाष प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, दूरभाष प्रचालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
दूरभाष प्रचालक	05* (2022)	साधारण केंद्रीय सेवा,

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित
--	--	--------------------------------

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-632,00 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबे जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से गैर सरकारी ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज एवं गैर सरकारी ब्रांच एक्सचेंज के हथालन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित परिवीक्षा के सफलतापूर्ण समापन के लिये कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; (2) संबंधित विभाग के प्रभारी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (3) उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/18/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th July, 2022

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as it relates to the post of Telephone Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telephone Operator in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Telephone Operator (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telephone Operator.	05* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19,900-63,200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	12 th class pass from a recognised Board plus training course in handling Private Automatic Branch Exchange and Private Branch Exchange from a recognised institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates

Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100 per cent. by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman 2. Incharge of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member 3. Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A-11018/18/2019-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी पर्यवेक्षक (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीकी पर्यवेक्षक (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग), (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी पर्यवेक्षक (केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति:

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300/-रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीशियन (केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन सेवा विभाग) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिन्होंने विभाग द्वारा विहित केंद्रीकृत स्टेरलाइज़ेशन सेवा विभाग में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी. ;

(ii) न्यूनतम बीस बिस्तरों वाले अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव;

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन सेवा में कम से कम नौ मास की अवधि का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के साथ न्यूनतम बीस बिस्तरों वाले किसी अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से

ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष (2) केंद्रीय स्टेरलाइजेशन सेवा विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी - सदस्य (3) उपनिदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य (4) उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष (2) उपनिदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य (3) उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/02/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2022

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Supervisor (Central Sterilise Service Department), in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Technical Supervisor (Central Sterilise Service Department), (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person, -

- a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Supervisor (CSSD)	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400–112400/-).	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by Promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Technician (CSSD) in Dr. RML Hospital in level 5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300/-) with six years of regular service in the grade and has successfully completed two weeks training in centralized sterilisation service department as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract): (a)(i) Officers of the Central Government/State Government/ Union Territories /autonomous or statutory organisation/Public Sector Undertakings/Universities or recognised Research Institutions : (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 of the Pay Matrix (Rs.	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital , New Delhi -Chairman (2) Officer in-Charge of CSSD, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital , New Delhi -Member (3) Deputy Director (Administration), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member (4) Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Chairman (2) Deputy Director (Administration), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member (3) Deputy Director, Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

29200-92300); and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) B.Sc. from a recognised University or Institute; (ii) Two years working experience in central sterilization techniques from a minimum twenty bedded hospitals; or Certificate or Diploma of at-least nine months duration in Central Sterilisation Services from an Institute or Hospital recognised by the Central Government or State Government or Union Territory alongwith one year working experience in Central Sterilisation Techniques from a minimum twenty-bedded hospitals. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 106.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल/डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन शिक्षा एवं अनुसंधान, पांडिचेरी (नर्सिंग सिस्टर एवं स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997 को, जहां तक उसका संबंध नर्सिंग सिस्टर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी, (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी	272* (2022) * कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-	चयन पद।	लागू नहीं होता

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	151100 रुपये)		
--	-----------------------------------	------------------------	---------------	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे परिचर्या अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष - सहायक महानिदेशक (परिचर्या), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का कार्य देख रहे उप निदेशक प्रशासन - सदस्य - उप निदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
--	--	--

[फा. सं. ए-11018/06/2019-एमएच II-पी]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2022

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital/ Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/ Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital /Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules ,1997, in so far as it relates to the post of Nursing Sister, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Senior Nursing Officer(Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay-matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Nursing Officer	272* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection post

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	100 per cent. by promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Nursing Officer working in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with two years of regular service in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant field to be prescribed by the competent authority. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Assistant Director General (Nursing), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services looking after the work of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director (Administration), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/06/2019-MH II-P]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता

कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और	लागू नहीं होता

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	सीधी भर्ती टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: - उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन - सदस्य - उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; - सहायक निदेशक (राजभाषा), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/26/2017-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2022

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Junior Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Junior Translation Officer, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Junior Translation Officer (Group- 'B' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translation Officer	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non Ministerial.	Level-6 (35400-112400/) in the pay matrix.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.	Master degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level ; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English , with Hindi and English , as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; And (ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.

	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of the Central Government:- a(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note: Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	2. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services	-Member	
	3. Deputy Director Administration of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi	-Member	
	4. Assistant Director (Official Language), Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi	-Member.	

[F. No. A-11018/26/2017-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उसका संबंध सफाई गृह पर्यवेक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई गृह पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई गृह पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

5. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सफाई गृह पर्यवेक्षक	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) हाउस कीपिंग और लांड्री ऑपरेशन में डिप्लोमा। (3) धुलाई कार्य से जुड़ी किसी सरकारी या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन से धुलाई कार्य का दो वर्ष का अनुभव; या (4) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री और धुलाई कार्य से जुड़ी किसी सरकारी या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में धुलाई कार्य का छह माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार,

के लिए विहित की गयी है।	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे बाॅयलर अटेंडेंट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4(25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सरकारी लांड्री और भंडार लेखा में दो वर्ष का अनुभव है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) वाले पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने

		वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक - अध्यक्ष; (2) विभागाध्यक्ष (लांड्री) - सदस्य; (3) उप निदेशक -सदस्य; (4) उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक - अध्यक्ष; (2) विभागाध्यक्ष(लांड्री) - सदस्य; (3) उप निदेशक - सदस्य; (4) उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/45/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd August, 2022

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of The Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as it relates to the post of Laundry Supervisor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laundry Supervisor in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Laundry Supervisor (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laundry Supervisor	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(1) 12 th class pass from a recognised Board. (2) Diploma in House Keeping and Laundry Operation. (3) Two years’ experience of Laundry Work from a Government or reputed commercial organisation involved in laundry work.; or

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul, Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.	(4) Degree from a recognised University or institute and a six months experience of Laundry Work from a Government or reputed commercial organisation involved in laundry work.
Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruitment	100 per cent. by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Boiler Attendant of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) and with two years' experience in Government Laundry and Knowledge of store accounting. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are, not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of Department; or (ii) with five years regular service in the post in level-4 in pay matrix (Rs. 25500- 81100). (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years on the basis of date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent -Chairman (2) Head of Department (Laundry) -Member (3) Deputy Director Administration -Member (4) Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent -Chairman (2) Head of Department (Laundry) -Member (3) Deputy Director Administration -Member (4) Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A-11018/45/2019-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अगस्त 2022

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (दृष्टिविज्ञानी, समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में दृष्टिमितिज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, दृष्टिमितिज्ञ (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
दृष्टिमितिज्ञ	*01(एक) 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन याअचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/- रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक

दृष्टिमिति में चार वर्ष की डिग्री। (iii) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पताल में दृष्टिमिति के रूप में एक वर्ष का कार्यानुभव। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएँ, सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 के पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।
---	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष - संबंधित विभागाध्यक्ष, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का प्रशासनिक कार्य का देख-भाल करने वाले उपनिदेशक - सदस्य - उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/11/2020-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd August, 2022

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchata Kriplani Hospital, New Delhi, (Optometrist-Group-C Post), Recruitment Rules 2014, except as things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Optometrist, in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Optometrist (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optometrist	*01(One) 2022 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for government servant’s up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: - (i) Class XII pass in Science from a recognised Board. (ii) Four Years Degree in Optometry from a recognised University. (iii) One year working experience as Optometrist in a government recognised hospital. Note: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in

	writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level-5 of the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of : - Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman - Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital. -Member - Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member - Deputy Director, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/11/2020-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.